संख्या—ए-2-3280/दस-82-15-1(19)-69

प्रेषक,

श्री जी0 एस0 श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ दिनांक, 22 अप्रैल, 1983

विषय :—सरकारी ठेकों के सम्पादन के लिये ठेकेदारों से नकद जमानत के बदले अनुसूचित बैंकों की गारन्टी प्राप्त करने के प्रपत्र का संशोधन।

महोदय,

वित्त
(लेखा)
अनुभाग-2

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया की बैंक गारन्टी स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों से गारन्टी प्राप्त करने का प्रपत्र शासनादेश संख्या-15/1(19)/(69)/वि0वि0ले0-1, दिनांक 4 मई, 1970 द्वारा निर्धारित किया गया था। उपरोक्त प्रपत्र में कुछ कमियां सामने आई है जिनके फलस्वरूप ठेके के करार (एग्रीमेंट) की शर्तों का पालन न करने की स्थिति में ठेकेदारों द्वारा की गई मुकदमेबाजी के कारण सरकार को बैंक गारन्टी का धन प्राप्त होने में अड़चनें हुई है। कभी-कभी बैंक अथवा ठेकेदार द्वारा अपने संविधान में कतिपय संशोधन अथवा परिवर्तन कर दिये जाने के कारण भी गारन्टी की वैधता प्रभावित हुई है। इन सब परिस्थितियों का निराकरण करने के उद्देश्य से भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के बैंकिंग डिवीजन ने विधि मन्त्रालय, रिजर्व बैंक आफ इंडिया तथा इंडियन बैंक्स एसोसियेशन से परामर्श कर उनकी सहमति से अनुसूचित बैंकों से गारन्टी प्राप्त करने का संशोधित प्रपत्र निर्धारित किया है जिसकी प्रति संलग्न है।

2—प्रदेश सरकार ने उपरोक्त प्रपत्र में अनुसूचित बैंकों से गारन्टी लेने का सुझाव स्वीकार कर लिया है। अतः आपसे अनुरोध है कि भविष्य में ठेकेदारों से अनुसूचित बैंकों की गारन्टी केवल संलग्न प्रपत्र में ही ली जाय।

3—संलग्न प्रपत्र के पैरा-4 में वह दिनांक भरा जाना है जब तक बैंक गारन्टी वैध होगी। चूंकि ठेकों की अवधि अक्सर बढ़ाई जाती है, अतः शासन के हितों की सुरक्षा हेतु यह आवश्यक है कि ठेके के सम्पादन के लिये जो अवधि हो उससे 6 मास अधिक की अवधि के लिये बैंक गारन्टी प्राप्त की जाय जिससे कि कार्य पूर्ण होने के बाद भी उसे लागू करने का पर्याप्त समय बचे।

4—सम्बद्ध वैभागिक अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह जब कभी ठेके की अवधि बढ़ायें तो उससे पहले गारन्टी की अवधि भी उसी अनुपात में बढ़वा ली जाय अथवा ठेकेदार से नई गारन्टी प्राप्त कर ली जाय।

5—संदर्भित शासनादेश दिनांक 4 मई, 1970 में यह निदेश दिये गये थे कि जिस ठेके में जमानत बैंक गारन्टी के रूप में ली जाय उसकी शर्तों में यह शर्त अनिवार्यरूप से शामिल की जाय कि "यदि किसी कारणवश ठेके की अवधि बढ़ाई जाती है तो ठेकेदार के लिये यह अनिवार्य होगा कि जितनी अवधि के लिये ठेका बढ़ाया जाय उतनी अवधि के लिये वह बैंक गारन्टी की अवधि बढ़वाएगा अथवा उसके लिये नई बैंक गारन्टी प्रस्तुत करेगा, और यदि ठेकेदार ऐसा नहीं करता है अथवा करने से इन्कार करता है तो वह ठेके का उल्लंघन समझा जायगा और शासन को यह अधिकार होगा कि वह बैंक गारन्टी को लागू करके उसका धन बैंक से प्राप्त कर लें।" अनुरोध है कि इस शर्त का ठेकों में शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जाय और यदि ठेकेदार बैंक गारन्टी की अवधि बढ़ाने के लिये या नई बैंक गारन्टी देने के लिये सहमत न हो तो ठेके की समयावधि कदापि न बढ़ायी जाय तथा यह आधार लेकर कि ठेके की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, बैंक गारन्टी को लागू करके उसका सम्पूर्ण धन संबंधित बैंक से प्राप्त कर लिया जाय।

6—यह उल्लेखनीय है कि यदि स्थानीय परिस्थितियोंवश अथवा कार्य की प्रकृति विशेष के कारण शासन के हितों की सुरक्षा हेतु संलग्न प्रपत्र में कोई संशोधन करना आवश्यक हो तो वह संबंधित बैंक की सहमति से ही कराया जा सकेगा तथा उस पर शासकीय हस्तांतरक (Government Conveyancer) का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

भवदीय,
जी० एस० श्रीवास्तव,
उप सचिव।

संख्या—ए-2-3280(1)/दस—82-15-1(19)-68 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

2—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

3—सचिव, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-9/20/82-बी०ओ०-111, दिनांक 6-11-82 के संदर्भ में ।

4—नियन्त्रक महालेखा परीक्षक, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

5—रिजर्व बैंक आफ इंडिया, डी०बी०ओ०डी०, सेन्ट्रल आफिस बम्बई ।

6—शासकीय हस्तांतरक, न्याय (लेखा) अनुभाग ।

आज्ञा से,
जी० एस० श्रीवास्तव,
उप सचिव ।

REVISED MODEL FORM OF BANK GUARANTEE BOND

GUARANTEE BOND

In consideration of the Governor of Uttar Pradesh (hereinafter called "the Government") having agreed to exempt ———————————— (hereinafter called "the said Contractor(s)") from the demand, under the terms and conditions of an Agreement, dated ————————made between ————————and ———————— for———————— (hereinafter called "the said Agreement"), of security deposit for the due fulfilment by the said Contractor(s) of the terms and conditions contained in the said Agreement, on production of a bank guarantee for Rs. ————————(Rupees————————only) we,————————————, (hereinafter referred to as "the Bank") at
(indicate the name of the bank)
the request of ———————— ———— /contractor(s)/ do hereby undertake to pay to the Government an amount not exceeding Rs. ————————against any loss or damage caused to or suffered or would be caused to or suffered by the Government by reason of any breach by the said Contractor(s) of any of the terms or conditions contained in the said Agreement.

2. We————————————do hereby undertake to pay the amounts
(indicate the name of bank)
due and payable under this guarantee without any demur, merely on a demand from the Government stating that the amount calimed is due by way of loss or damage caused to or would be caused to or suffered by the Government by reason of breach by the said contractor(s) of any of the terms or conditions contained in the said Agreement or by reason of the contractor(s) failure to perform the said Agreement. Any such demand made on the bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs.————————————.

3. We undertake to pay to the Government any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the contractor(s) supplier(s) in any suit or proceeding pending before any court or Tribunal relating thereto our liability under this present being absolute and unequivolcal.

The payment so made by us under this bond shall be a valid discharge of our liability for payment thereunder and the contractor(s) supplier(s) shall have no claim against us for making such payment.

4. We,————————————further agree that the guarantee herein
(indicate the name of bank)
contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said Agreement and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Government under or by virtue of the said Agreement have been fully paid and its claims satisfied or discharged or fild
————————————————Office/ Department) ————————
certifies that the terms and conditions of the said Agreement, have been fully and properly carried out by the said Contractor(s) and accordingly discharges this guarantee. Unless a demand or claim under this guarantee is made on us in writing on or before the————————————————
we shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.

5. We,————————————further agree with the Government that the Govern-
(indicate the name of Bank)
ment shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligations hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Agreement or to extentdtime of perfor mance by the said contractor(s) from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the Government against the said Contractor(s) and to for bear or enforce any of the terms and conditions relating to the said agreement and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation or extension being granted to the said Contractor(s) or for any forbearance, act or commission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the said Contractor(s) or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have effect of so relieving us.

6. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the Contractor(s)/Supplier(s).

7. We,————————————lastly undertake not to revoke this guarantee during
(indicate the name of bank)
its currency except with the previous consent of the Government in writing.

Dated the————————*day of*————————

for ————————
(indicate the name of Bank).

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 15 सा० वित्त—22-4-83—(117)—1983—8,000 (डि०)।

संख्या—ए-2-3280(1)/दस--82-15-1(19)-69 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

2—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

3—सचिव, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-9/20/82-बी0ओ0-111, दिनांक 6-11-82 के संदर्भ में ।

4—नियन्त्रक महालेखा परीक्षक, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

5—रिजर्व बैंक आफ इंडिया, डी0बी0ओ0डी0, सेन्ट्रल आफिस बम्बई ।

6—शासकीय हस्तांतरक, न्याय (लेखा) अनुभाग ।

आज्ञा से,
जी० एस0 श्रीवास्तव,
उप सचिव ।